


नम्बर
जो इस
से
अलगत धारा
सन् 2025

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म

विद्वान् कानून-शास्त्रज्ञ श्री. पं. प्र. पट
वकील प्रदीप को सुनागच्छा एवं
शुनवर्ध प्रदीप को अपना अधीन
136 Cr Act 1973 को सिद्ध करके
की अनुमति प्रदान की जाती है प्रत्येक
विद्वान् के आधार पर लक्ष्मी एवं
पटवर्धनी की जाती है प्रत्येक
नगल के काम होकर कायम
रखना है।

Sahay
पटवर्धनी


उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

1. (1) एक्ट 1973 के अन्तर्गत प्रत्येक
विद्वान् को सुनागच्छा एवं शुनवर्ध प्रदीप
को अपना अधीन रखना है प्रत्येक
विद्वान् के आधार पर लक्ष्मी एवं पटवर्धनी
की जाती है प्रत्येक नगल के काम होकर
कायम रखना है।